न्यायालयः— अपर जिला न्यायाधीश, मकराना जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)।
पीठासीन अधिकारी :— आशा चौधरी, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी अपील डिक्री सं. :— 13/2020, सी.आई.एस. नं. :— 13/2020
दीवानी अपील डिक्री सं. :— 14/2020, सी.आई.एस. नं. :— 14/2020
सी.एन.आर. नं. :— RJDK080001992020, RJDK080002002020
निर्णय दिनांक :— 24/08/2026

सिविल अपील डिक्री सं. 13/2020, सी.आई.एस. सं. 13/2020

1. कमला देवी पत्नी रामूराम, उम्र 64 वर्ष, निवासी मामडोली, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।
2. महेश पुत्र रामूराम, उम्र 34 वर्ष, निवासी मामडोली, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।

——— अपीलार्थीगण

ब ना म

1. किशनलाल पुत्र पूरणमल, उम्र 41 वर्ष, निवासी मामडोली हाल ग्राम पंचायत कार्यालय के पास डेगाना।
2. मोतीराम पुत्र रामूराम, उम्र 39 वर्ष, निवासी कालवा छोटाबास, तहसील मकराना।
3. नटवर पुत्र भंवरलाल, निवासी ततारपुरा, तहसील डेगाना।
4. दिनेश पुत्र भंवरलाल, निवासी ततारपुरा, तहसील डेगाना।
5. विष्णु पुत्र भंवरलाल, निवासी ततारपुरा, तहसील डेगाना।
6. संतोष पुत्री भंवरलाल पत्नी सुन्दरलाल, निवासी चिताई, तहसील परबतसर।

——— रेस्पोडेंट्स

उपस्थिति :—

अपीलार्थीगण की ओर से	—	अधिवक्ता श्री प्रेमप्रकाश जोशी, श्री धर्मेन्द्र ओझा।
रेस्पोडेंट्स की ओर से	—	अधिवक्ता श्री भंवराराम डूडी, श्री राममनोहर डूडी।

सिविल अपील डिक्री सं. 14/2020, सी.आई.एस. सं. 14/2020

1. नटवर पुत्र भंवरलाल, उम्र 48 वर्ष,
2. दिनेश पुत्र भंवरलाल, उम्र 46 वर्ष,
3. विष्णु पुत्र भंवरलाल, उम्र 35 वर्ष,
4. संतोष पुत्री भंवरलाल पत्नी सुन्दरलाल, उम्र 51 वर्ष, निवासी चिताई, तहसील परबतसर, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।

——— अपीलार्थीगण

ब ना म

1. किशनलाल पुत्र पूरणमल, उम्र 41 वर्ष, निवासी मामडोली हाल ग्राम पंचायत कार्यालय के पास डेगाना।
2. मोतीराम पुत्र रामूराम, उम्र 39 वर्ष, निवासी कालवा छोटाबास, तहसील मकराना।
3. कमला देवी पत्नी रामूराम, उम्र 64 वर्ष, निवासी मामडोली, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।
4. महेश पुत्र रामूराम, उम्र 34 वर्ष, निवासी मामडोली, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।

——— रेस्पोडेंट्स

उपस्थिति :–

अपीलार्थीगण की ओर से	–	अधिवक्ता श्री हितेन्द्र कुमार।
रेस्पोडेंट्स सं. 01 व 02 की ओर से	–	अधिवक्ता श्री भंवराराम डूडी, श्री राममनोहर डूडी।
रेस्पोडेंट्स सं. 03 व 04 की ओर से	–	अधिवक्ता श्री प्रेमप्रकाश जोशी।

श्री धर्मवीर सिंह रूलानिया, आर.जे.एस., सिविल न्यायाधीश मकराना द्वारा दीवानी मूल प्रकरण सं. 50/2006, 154/2014 बअनुवान तुलछीदेवी बनाम किशनलाल व अन्य में दिनांक 04.12.2019 को पारित किये गये निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील

दिनांक :– 24/08/2026

–:: निर्णय ::–

1. उक्त दोनों प्रकरण विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए एक ही निर्णय व डिक्री से संबंधित होने के कारण उक्त दोनों प्रकरणों का सुविधा व पुनरावृति को रोकने की दृष्टि से एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। इस निर्णय में आगे अपीलार्थीगण कमलादेवी व अन्य को वादीगण तथा रेस्पोडेंट्स किशनलाल व अन्य को प्रतिवादीगण एवं अपीलार्थीगण नटवर व अन्य को प्रतिवादीगण सं. 03 ता 06 व रेस्पोडेंट्स किशनलाल, मोतीराम को प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 तथा रेस्पोडेंट्स कमलादेवी व महेश को वादीया तुलछीदेवी के वसीयती पक्षकार के रूप में सम्बोधित किया जायेगा।

2. अपीलार्थीगण कमलादेवी व अन्य ने रेस्पोडेंट्स किशनलाल व अन्य के विरूद्ध तथा अपीलार्थीगण नटवर व अन्य ने रेस्पोडेंट्स किशनलाल व अन्य के विरूद्ध सिविल न्यायाधीश मकराना द्वारा दीवानी मूल प्रकरण सं. 50/2006, 154/2014 बअनुवान तुलछीदेवी बनाम किशनलाल व अन्य में दिनांक 04.12.2019 को पारित किये गये निर्णय व डिक्री के विरूद्ध यह

अपील पेश की है, जिसका एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

3. वादिया तुलछीदेवी ने **वाद–पत्र** विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादिया एक वृद्ध औरत है एवं अपने पति के बंट में आए आवासीय प्लॉट ग्राम मामडोली में अपनी हैसियत अनुसार निर्माण करके निवास कर रही है। वादीया के ससुर रामचन्द्र ग्राम मामडोली में रहते थे जिनके तीन पुत्र हुए जिनका सिजरा खानदान पैरा संख्या 2 में वर्णित है। तीनों पुत्र फौत हो गए जिनके कृषि भूमि व आवासीय भूमि ग्राम मामडोली में आयी हुई है। वादीया के ससुर की सम्पति उनके तीनों पुत्रों में बराबर विभाजन होकर विभाजन होकर तीनों अपने–अपने हिस्से व बंट में काबिज हो गये तथा ग्राम मामडोली में आए प्लॉट का भी मौके पर प्रत्येक का 1/3 हिस्सा विभाजन कर लिया था। वादीया बाल विधवा हो गयी थी इसलिए अपने पति की सम्पति में अकेली ही उतराधिकारी हो गयी तथा पूरणमल के उनका पुत्र किशनलाल जो कि प्रतिवादी संख्या 1 है व उत्तराधिकारी हो गया प्रतिवादी संख्या 1 के पिता शुरू से ही डेगाना रहने लग गया तथा मामडोली कभी कभार आता–जाता था इसने अपना रहवासी प्लॉट जो अपने बंट में आया उसका बेचान ग्रामवासियों को टंकी बनाने के लिए आज से 18 वर्ष पूर्व कर दिया तथा अपने प्लॉट की कीमत प्राप्त कर ली जिसकी कीमत ग्रामवासियों द्वारा एकत्रित करके ग्राम में टंकी बनाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को अदा की जहाँ पर पानी की टंकी वर्तमान में बनी हुई है जो जगह प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के बंट में आई जिसका बेचान प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने कर दिया तथा शेष जगह बची वो वादिया व मांगीलाल के बंट में आई भूमि है। वादीया के पति का अल्प आयु में स्वर्गवास हो जाने के कारण कर्ता खानदान मात्र पूरणमल ही था जो अपने परिवार सहित डेगाना जाकर बस गया परन्तु चतुर व चालाक होने से वादीया के ससुर की सम्पति कृषि भूमि व रहवासी प्लॉटों की देखरेख पूरणमल ही करता था जिसने चतुराई व चालाकी से ग्राम पंचायत सबलपुर के सरपंच से मिलकर रहवासी प्लॉट का पट्टा अपने नाम बना लिया तथा कृषि भूमि या भी अपने नाम करवा ली. जबकि कृषि भूमि व रहवासी प्लॉट में पूरणमल का 1/3 हिस्सा ही था जिसने धोखाधड़ी करके ग्राम पंचायत

सरपंच को प्रलोभन देकर पट्टा अपने नाम बना लिया जबकि बेचानसुदा रहवासी प्लॉट जिसमें वादीया ने चारदीवारी निकाल कर एक रहवासी कमरा बना रखा है जिसके उपर अपनी सुविधानुसार चद्दर चढ़ा रखे है तथा निवास कर रही है जिसका पट्टा भी प्रतिवादी संख्या एक के पिता ने बना लिया जिसकी जानकारी वादीया को अभी मिलावटी बेचान करने पर चला जिस पर झूठा कब्जा बताकर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा षड्यंत्र रचकर उस पट्टा की आड़ में प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में एक मिलावटी बेचान दिनांक 24.07.2006 को तहरीर व तकमील कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में बेचान की गई जमीन/रहवासी प्लॉट वादीया व प्रतिवादी संख्या 3 की सम्पति है। उक्त जमीन पर प्रतिवादी संख्या 1 का कभी कब्जा व हक अधिकार नहीं रहा है जिससे उक्त बेचान अवैध है व पट्टा गलत है वादीया के अधिकारों पर बेअसर है। वादीया का उक्त बेचानसुदा रहवासी प्लॉट अपने पति की विरासत से मिला हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने इसका पट्टा ग्राम पंचायत से मिलावट करके बनाया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने अपने हिस्से का रहवासी प्लॉट आज से 18 वर्ष पूर्व ग्रामवासियों को पानी की टंकी बनाने के लिए बेचान कर अपनी कीमत प्राप्त कर ली थी शेष प्लॉट बचा उसमें वादीया व प्रतिवादी संख्या 3 का बराबर—बराबर हिस्सा है। जिस पर वर्तमान में वादीया का कब्जा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से उक्त जमीन का न तो कब्जा सुपुर्द किया न ही इस रहवासी प्लॉट पर प्रतिवादी संख्या 1 का कभी कब्जा रहा है जिससे बिना कब्जे किया गया बेचाननामा अवैध है जो काबिल निरस्त है। उक्त बेचान प्लॉट में वादीया ने अपने प्लॉट के चारों तरफ दीवार बना रखा है तथा पश्चिम में एक दरवाजा बना रखा है तथा प्लॉट में अपने रहने के लिए कमरा बनाकर लोहे के चद्दर चढ़ा रखे है जिसमें वादीया निवास कर रही है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने बिना किसी अधिकार के उक्त भूमि का ग्राम पंचायत से मिलकर एक पट्टा बनवा लिया जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 24.07.2006 को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में मिलावटी बेचाननामा लिखवा दिया जबकि उक्त रहवासी प्लॉट वादिया के अधिकार व कब्जे में है

इसलिए बिना भौतिक कब्जा के किया गया बेचाननामा अवैध है जो वादिया के संख्या 2 को भौतिक कब्जा डिलिवर्ड नहीं हुआ है। आज तक उक्त रहवासी प्लॉट मेवादीया निवास कर रही है उक्त प्लॉट में 1/2 हिस्सा वादीया का है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का है प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा इनके पिता द्वारा आज से 18 वर्ष पूर्व बेचान किया जा चुका है जहाँ सार्वजनिक टंकी निर्मित है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने अपने नाम इस रहवासी प्लॉट की प्रलोभन से पट्टा बनवा लिया तथा अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर लिया था तथा वादीया के हिस्से की तथा प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से की भूमि का पट्टा बनाकर इतने दिन तक छिपाये रखा तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी अपने पिता के फौत हो जाने के पश्चात् इस गलत रूप से बने पट्टे को छिपाये रखा तथा जिससे प्रतिवादी संख्या 1 की बदनियती का पता चल जाता है तथा मौका आने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया के कब्जे व रहवासी प्लॉट जिसके वादीया जिसमें वादीया निवास करती है उसका बेचाननामा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में लिख दिया तथा इस बेचाननामा की आड़ में वादीया जो 70 वर्ष की बुढ़िया है उसको बाहर निकाल कर इस भूमि/रहवासी प्लॉट पर कब्जा कर लेगे। जबकी इनको इस प्रकार का कृत्य करने का कानूनन अधिकार नहीं है जिससे उक्त बेचाननामा अवैध है जो काबिल निरस्त के है। रहवासी मकान जिसमें वादीया निवास करती है उसका बेचान प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को किया उसका पंजीयन से पूर्व उप पंजीयक अधिकारी मकराना द्वारा मौका देखकर पंजीयन करना अनिवार्य था परन्तु उप पंजीयक द्वारा भौतिक कब्जा देख बिना ही पंजीयन किया है। इसलिए बेचाननामा मिलावटी है जो वादिया के अधिकारो पर बेअसर है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आपस में मिल गए थे जिन्होंने उक्त मिलावटी बेचाननामा बदनियति से करवाया था जिससे उक्त बेचाननामा काबिल निरस्त के है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने ग्राम पंचायत को प्रलोभन देकर वादीया व प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से के रहवासी प्लॉट का पट्टा बनाया जो कि बिना किसी अधिकार के बनवाया गया जबकि उक्त प्लॉट वादीया को उनके पति के विरासत से प्राप्त हुआ है जिसमें वादीया निवास कर रही है जिसमें इस पट्टे के आधार पर

बिना भौतिक कब्जे के किया गया बेचाननामा वादीया के अधिकारों पर बेअसर है जो काबिल निरस्त के है। उक्त बेचाननामा की आड़ में प्रतिवादी संख्या 2 की नियत खराब हो गई है अब वह वादीया के रहवासी प्लॉट पर अतिक्रमण करने के फिराक में है उक्त बेचाननामा खड़ा रहने से वादीया की अपार क्षति हो रही है यदि प्रतिवादी संख्या 2 को अपने मनसुबे में कामयाब हो गया तो वादीया को अपने मलिकिया तथा अपने पति की विरासत से मिली जगह से हाथ धोना पड़ेगा जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 28.07.2006 को वादीया को अपना रहवासी प्लॉट खाली करने की ऐलानिया धमकी दी जिस पर वादीया ने नकल प्राप्त करवाई तब सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। अतः वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 स्वीकार किया जावे कि दिनांक 24.07.2006 को प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किए गए बेचान को शून्य व निरस्त फरमावे व स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध जारी फरमाई जावे कि उक्त बेचान की आड़ में वादीया के रहवासी मकानशुदा प्लॉट जिसमें वादीया निवास कर रही है उसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 किसी तरह की दखल अन्दाजी नहीं करे न ही कब्जा करे व न ही आगे बेचान करे व न इस पर कोई निर्माण करे न ही रहने लगे।

4. **प्रतिवादीगण** की ओर से उक्त वादपत्र का **जवाबदावा** इस आशय का पेश किया गया कि प्रतिवादीगण वादीनी को नहीं जानते है व न ही वादीनी का यहाँ कोई बंट है। पूरणमल के दो भाई अवश्य थे लेकिन अल्पायु में ही सत्य हो गए थे तथा उनकी शादी होने की जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं है इसलिए सम्पूर्ण सम्पति पर पूरणमल ही बतौर मालिक काबिज रहा है। इस सम्पति का कभी भी कोई विभाजन नहीं हुआ था तथा न ही कभी वादीया को इस ग्राम मामडोली में रहते देखा गया और न ही पुख्ता जानकारी है कि वादीया स्वर्गीय मन्नालाल की पत्नी है या फर्जी बनाकर दावा पेश करवाया गया है। इस सम्पूर्ण जायदाद का मालिक पूरणमल ही रहा है क्योकि स्वर्गीय रामचन्द्र का स्वर्गवास हुआ तब दोनो पुत्र मांगीलाल व मन्नालाल के कोई वारिशान नहीं थे और दोनों का कोई वारिस नहीं होने

से सम्पूर्ण जायदाद के ही रही थी। सम्पूर्ण प्लॉट का ग्राम पंचायत सबलपुर ने दिनांक 10.02.1984 को पट्टा संख्या 14 प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से जारी कर दिया था उस समय से पहले अगर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने कोई इस प्लॉट में से जमीन गांव वालों को दी हो तो प्रतिवादी को पता नहीं है। पट्टा जारी करने के बाद में इस प्लॉट में से एक इंच भूमि का बेचान नहीं किया गया है। स्वर्गीय रामचन्द्र व उनके दोनो पुत्र फौत हो गए थे और यहाँ केवल प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय पूरणमल ही उत्तराधिकारी बचे थे इस कारण समस्त जायदाद का मालिक पूरणमल ही है। ग्राम पंचायत सबलपुर ने 1984 में जब इस प्लॉट का पट्टा बनाया इस समय सरपंच भी ग्राम मामडोली के ही थे अगर ये वादीया या अन्य कोई उज्र आपत्ति करने वाले होते तो यह पट्टा कैसे जारी हो सकता था क्योंकि मांगीलाल स्वयं इसी गांव के रहने वाले होने के कारण सभी को जानते थे लेकिन कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं तो इस प्लॉट का विधिवत् प्रतिवादी संख्या 2 के पिता के नाम से जारी किया गया था उक्त पट्टा बनाते समय न तो किसी ने कोई आपत्ति पेश की न ही उक्त पट्टा बनने के बाद आज 22 वर्ष तक किसी ने इस पट्टा बाबत् अपील पेश की इसलिए तमाम तथ्य झूठे एवं मनगड़त लिखे गए है। इस प्लॉट का मालिक केवल प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय पूरणमल होने से पट्टा जारी किया गया था और पूरणमल के स्वर्गवाव होने के बाद अब उनका एक मात्र उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 होने से तमाम जायदाद प्रतिवादी संख्या 1 होने से तमाम जायदाद प्रतिवादी संख्या 1 को उत्तराधिकारी कानून के तहत प्राप्त हुई है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 अकेला ही रहता है जिसके आधार पर दिनांक 24.07.2006 को प्रतिवादी संख्या 2 को वैध बेचाननामा लिखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया को कभी ग्राम मामडोली में नहीं देखा ना ही वादीया के इस ग्राम में रहने का कोई सबूत है न तो इसके राशनकार्ड है न ही वोटर लिस्ट में नाम है अगर पट्टा अवैध बना तो इसकी विधिवत् पंचायत समिति में अपली होती लेकिन आज तक किसी ने नहीं की। जब स्वर्गीय रामचन्द्र का स्वर्गवास हुआ तब केवल उनके जायज उत्तराधिकारी ही थे और दोनो लडके मांगीलाल व मन्नाराम फौत हो गए थे और उनका

कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनके स्वर्गवास के बाद इस तमाम सम्पति का मालिक पूरणमल ही था इसलिए ग्राम पंचायत ने इनके नाम से पट्टा जारी कर दिया था। इस प्लॉट की चहारदीवारी स्वर्गीय पूरणमल ने निकलाई थी चद्दरों वाला मकान भी पूरणमल के समय का है जिसमें इस प्लॉट के बेचान के समय तक प्रतिवादी संख्या 1 का परिवार रहता था और दिनांक 24.07. 2006 को बेचान के साथ ही इस प्लॉट के खरीददार मोतीराम को कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना सामान निकालकर प्रतिवादी संख्या 2 का ताला लगवा दिया था जो आज भी कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 का कानूनी रूप से है। बेचाननामा दिनांक 24.07.2006 को किया गया था उसी दिन प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को कब्जा मौके पर गांव के अन्य मौतबीर लोगों के समक्ष सुपुर्द कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 2 ने कब्जा सम्भालकर अपना ताला लगा दिया था वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 का वहाँ कोई कब्जा नहीं था और न ही कानून रूप से आज ही है। सार्वजनिक टंकी की जमीन प्रतिवादी संख्या 1 ने दी हो तो प्रतिवादी को जानकारी नहीं है। इस सम्पूर्ण प्लॉट पर पहले प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 का पिता स्वर्गीय पूरणमल निवास कर रहे थे और उनके स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं बतौर मालिक कर रहा था दिनांक 24.07.2006 को बेचान के साथ ही कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 को संभलाया था। स्वर्गीय मन्नालाल को स्वर्गवास हुए करीब 65 वर्ष हो चके है एवं मांगीलाल को भी स्वर्गवास हुए करीब 45 वर्ष हो चुके है। ये दोनो ही व पिता स्वर्गीय रामचन्द्र फौत हो गए थे यह दोनों ही शादीशुदा थे या नहीं प्रतिवादी संख्या 1 की जानकारी में नहीं है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 का जन्म होने से पहले ही दोनों स्वर्गवासी हो गये थे तथा ग्राम मामडोली में उनके किसी भी उत्तराधिकारी को न तो रहते देखा ना ही उत्तराधिकारी के बंट में सुना था यह दावा झूठा किया गया है अगर शादीशुदा होते ओर इस प्लॉट में अन्य किसी का हक उज्ज होता तो तत्कालीन सरपंच मांगीलाल कभी भी पट्टा जारी नहीं करते। प्रतिवादी संख्या 2 बोनाफाईड खरीददार है एवं बाजार भाव से प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त प्लॉट का प्रतिफल का भुगतान करके कब्जा दिनांक 24.07.2006 को प्राप्त कर लिया था इसलिए

नियत खराब करने वाले तथा झूठे लिखे है प्रतिवादी संख्या 1 ने इस सम्पूर्ण जायदाद का बेचाननामा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में उप—पंजीयक कार्यालय मकराना में रजिस्टर्ड करवाया है। इसलिए कानूनी रूप से प्रतिवादी संख्या 2 इस सम्पति का मालिक है। अब बेचाननामा होने के बाद यह झूठा दावा व टी०आई० प्रार्थना पत्र पेश करवाया जो काबिल खारिज है। दिनांक 24.07.2006 को प्रतिवादीर संख्या 1 ने रजिस्टर्ड बेचान करके उसी दिन प्रतिवादी संख्या 2 से सम्पूर्ण प्रतिफल लेकर कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 को मौके पर गांव के मौतबीर लोगों के सामने संभला दिया था जो विधिवत् प्रक्रिया से बेचान किया गया था उस वक्त गांव में कोई किसी को आपत्ति नहीं थी। प्रतिवादीगण ने अन्य आपति दर्ज कराते हुए कथन किए है कि ग्राम पंचायत सबलपुर द्वारा दिनांक 10.02.1984 को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय पूरणमल के नाम से जो पट्टा जारी किया गया है वह वैध पट्टा है इसकी आज तक न तो किसी के द्वारा अपील पेश की गई है न ही कोई इस पट्टा को निरसत करवाने के लिए दावा ही चलने लायक नहीं है। ग्राम पंचायत सबलपुर द्वारा तमाम आधिपत्य के आधार पर मालिकाना हक प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को दिए थे उसके आधार पर यह बेचाननामा निष्पादित करवाया गया है जो वैध व कानूनी परिधि में होने के कारण दावा चलने योग्य नहीं है। रामूराम पुत्र नथमल ब्राह्मण जो इस प्लॉट का पड़ौसी है वह इस प्लॉट को लेना चाहता था जो प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय पूरणमल के काका का बेटा भाई लगता था इस कारण उसको नहीं देने पर दिनांक 24.07.2006 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस जायदाद का कब्जा लेकर अपना ताला लगाकर खरीददार अपनी ढाणी में आ गया दिनांक 30.07.2006 को पुनः गांव अपनी खरीदशुदा सम्पति संभालने गया तो देखा कि आगे ताले टूटे हुए थे तो गांव वालों ने बताया कि रामूराम पूत्र नथमल ब्राह्मण, भंवरलाल पुत्र बद्री ब्राह्मण एवं इनके परिवार वालों ने यह ताला तोड़ कर सामान निकाला है तो प्रतिवादी संख्या 2 ने उनको कहा कि मेरे प्लॉट के ताले कैसे तो वे धमकिया देने लगे कि यहाँ ब्राहमणों का मोहल्ला है इसमें आपको नही रहने देंगे अन्यथ आप कीमत के पैसे हमारे से लेकर हमारे को बेचान कर दो तो मेरे आवश्यकता होने से उसने खरीदी

है बेचान नहीं करूंगा तो वे प्रतिवादी संख्या 2 को धमकीया दी व प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 01.08.2006 को मुकदमा नंबर 140/06 धारा 143, 448 व 380 भा.द.स. में पुलिस थाना परबतसर में दर्ज करवाया जिसकी तफ्तीश चल रही है। वादीया मेड़ता सिटी मीरा बाई के मंदिर के पास अपने निजी मकान में रहती है इसको प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इसका बेचान करने पर रामूराम पुत्र नथमल ब्राह्मण जाकर लाया था तथा उससे अंगूठा करवाकर यह दावा पेश किया है इसको न तो प्रतिवादी संख्या 1 जानता है तथा न ही कोई गांव वाले जानते है। इसलिए यह दावा चलने योग्य नहीं है। खरीदशुदा प्लॉट ग्राम मामडोली की आबादी भूमि में स्थित है खरीददार ग्राम कालवा छोटा की ढाणी में रहता है जब गांव में जाता है तो उनसे लड़ाई–झगड़ा करने पर उतारू हो जाते है इसी कारण इस संबंध में कोई विवाद नहीं होता तब तक गांव में जाना पसंद नहीं करता क्योंकि बिना कारण वहाँ पर एक समूह के लोगों ने गिरोह बना रखा है तथा कभी भी वे लड़ाई करके अशांति कर सकते है जो प्रतिवादी संख्या 2 अशांति करना नहीं चाहता है। पूरणमल स्वर्गीय रामचन्द्र के अकेले ही उत्तराधिकारी बचे थे इस कारण तमाम स्वर्गीय रामचन्द्र की कृषि विक भूमि एवं आबादी भूमि का तमाम का उत्तराधिकारी पूरणमल होने से इनको ही स्वामित्व प्राप्त हो गया था जो कृषिभूमि की खातेदारी भी स्वर्गीय पूरणमल के एवं आबादी भूमि भी उनको प्राप्त हो गई थी। पट्टा निरस्त का दावा लाये बिना २ वैचान मन्सुख का दावा चलने लायक नहीं है इसलिए यह दावा मियाद बाहर होने से काबिल खारिज है व पट्टा की विधिवत् अपील करने का प्रावधान कानून में है इसलिए सीधा दावा न्यायालय में नहीं लाय जा सकता है। अतः जवाबदावा स्वीकार कर वादीनी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

5. **प्रतिवादी संख्या 3** के कायम मुकामात की ओर से **जवाबदावा व अन्तराभिवाची वाद** पेश कर कथन किए गए है कि ग्राम मामडोली की आबादी सीमा में प्रतिवादी संख्या 3 के कायम मुकानात व वादीनी के शामलाती स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड आया हुआ है उसमें वादीनी निवास कर रही है व प्रतिवादी संख्या 3 का स्वर्गवास हो चुका है उनके वारिसान को रेकर्ड पर ले लिया गया है। विवादग्रस्त भूखण्ड जिसका

सम्पूर्ण विवरण अन्य उज्जात व काउन्टर क्लेम में दिया जायेगा वह भूखण्ड वादीया व प्रतिवादी संख्या 3 का शामलाती होकर उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य का है। विवादग्रस्त भूखण्ड के चार दीवारी व उसके अन्दर एक कमरे का निर्माण वादिनी व प्रतिवादी संख्या 3 ने शामलाती में करवाया था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में विवादित भूखण्ड का किया गया बेचान अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय पूरणमल के नाम पर जारी अवैध पट्टा कमांक 14 दिनांक 10.07.1984 के आधार पर किया गया है जो वादीया व प्रतिवादी संख्या 3 के वारिशान के भी हितो पर बेअसर है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को बेचा गया भूखण्ड वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 3 को पैतृक सम्पति होने के कारण विरासत में मिला था न कि वादीया को अकेली को मिला। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय पूरणमल ने ग्राम पंचायत सबलपूर से मिलीभगत कर विवादित भूखण्ड का पट्टा अवैध रूप से अपने अकेले के ही नाम बनवा लिया था एवं अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 24.07.2006 को बेचान कर दिया। विवादग्रस्त भूखण्ड वादीया अकेली का न होकर प्रतिवादी संख्या 3 का शामिल होकर दोनों को ही अधिकार व आधिपत्य में चला आ रहा है। जिस पर आज भी शांतिपूर्ण ढंग से वादीया निवास कर रही है। विवादग्रस्त भूखण्ड अकेली वादीया निवासी नहीं कर्ती अपितु उक्त भूखण्ड वादीया व प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान का व्याकमलाती होकर बराबर–बराबर 1/2 हिस्सा आया हुआ है। विवादग्रस्त प्लॉट वादीया व प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसार का शामलाती बराबर हिस्सा आया हुआ है।

6. प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान ने काउन्टर क्लेम पेश करते हुए कथन किए है कि प्रतिवादी संख्या 3 के वारिशान व वादीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक भूखण्ड पैमाईशी पूर्व पश्चिम 52 फुट उत्तर दक्षिण पूर्वी भुजा 60, पश्चिमीभुजा 54 फुट ग्राम मामडोली की आबादी में पैरा में वर्णित पाड़ौसियान के बीच आयी हुई है। उपरोक्त पाड़ौसियान के बीच स्थित भूखण्ड के अलावा उक्त भूखण्ड के पूर्व की ओर उत्तर में भी इसी भूखण्ड का भाग था जो करीब वर्तमान भूखण्ड और पूर्वी की ओर के भूखण्ड को मिलाने पर सम्पूर्ण भूखण्ड का 1/3 भाग था उपरोक्त भूखण्ड वादीया

प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 की पैतृक व पुश्तैनी सम्पति थी। वादीया व प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान का सजरा खानदान पैरा में वर्णित है। विवादग्रस्त भूखण्ड का ही एक भाग पूर्व की तरफ उत्तर दिशा में था जो सम्पूर्ण भूखण्ड का 1/3 हिस्सा था उपरोक्त भूखण्ड का आपसी सहुलियत से बंटवारा कर रखा था जिसके तहत विवादग्रस्त भूखण्ड वादीनी के पति व प्रतिवादी संख्या 3 के पिता का शामलाती व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का अलग से वर्तमान विवादित भूखण्ड के उत्तरी पूर्वी तरफ का हिस्सा रखा गया था। स्वर्गीय रामचन्द्र के पुत्र का स्वर्गवास हो जाने के कारण उपरोक्त सम्पति उनके वारिसान को विरासत में मिली थी उसमें से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय पूरणमल ने अपने हिस्से में आये भूखण्ड को आज से करीब 18 वर्ष पूर्व ही ग्रामवासियों को पानी के टंकी बनाने के लिए बेचान कर दिया था व डेगाना जाकर स्थाई तौर पर निवास करना शुरू कर दिया था। विवादित भूखण्ड वादीनी व प्रतिवादी संख्या 3 के स्वामित्व एंव कब्जे में था। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय पूरणमल का कोई हक हिस्सा नहीं रहा उसके उपरान्त भी सरपंच ग्राम पंचायत सबलपुर से मिलकर विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा अवैध रूप से अपने नाम बनवा लिया जिसका कि उसे कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं था और अवैध रूप से बनाए गए पट्टा संख्या 14 दिनांक 10.07.1984 के आध ार पर इसका हस्तानांतरण दिनांक 24.07.2006 को जरिए पंजीकृत बेचान प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित भी कर दिया। विवादग्रस्त भूखण्ड आज भी प्रतिवादी संख्या 3 के वारिशान व वादीनी के कब्जे में चला आ रहा है जिसमें उनके द्वारा शामालती बने मकान में वर्तमान में वादीनी शांतिपूर्ण ढंग से निवास कर रही है। पंजीकृत बेचान दिनांक 24.07.2006 के द्वारा विवादित भूखण्ड के कब्जे का हस्तानांतरण कभी नहीं हुआ। उक्त बेचान केवल कागजी एवं नुमाईशी है। वादीया के पति का अल्प आयु में स्वर्गवास हो गया प्रतिवादी संख्या 3 शादीशुदा होने के कारण अधिकांश अपने ससुराल में रहती थी। स्वर्गीय रामचन्द्र के वारिशान में पुरूष वारिशों में केवल प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय पूरणमल ही थे जो चतुर व चालाक थे जिनकी नियत खराब हो गी और बिना किसी हक अधिकार व

कब्जे के विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा अपने नाम से ग्राम पंचायत से जारी करवाया जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने हस्तानांतरित कर दिया जो गलत, अवैध व प्रभाव शून्य होने से निम्न आधारो पर काबिल निरस्त है कि विवादग्रस्त भूखण्ड प्रतिवादी संख्या 3 व वादीनी की पैतृक एवं पुश्तैनी होकर उन्हें विरासत में प्राप्त हुई थी जो उसके शामलाती स्वामित्व एवं आधिपत्य में होकर स्थाई तौर पर वादीनी निवास कर रही है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने अपने हिस्से में आये भूखण्ड को बेचान कर दिया था तथा विवादग्रस्त भूखण्ड में किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं होते हुए सरपंच ग्राम पंचायत सबलपुर से मिली भगत कर अपने अकेले के नाम से पट्टा संख्या 14 दिनांक 10.07.1984 जारी करवा लिया जिसका उसे कोई अधिकार हासिल नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय पूरणमल का विवादग्रस्त भूखण्ड पैतृक व पुश्तैनी होने के कारण हक मान भी लिया जावे तो भी किसी भी सूरत में उसका 1/3 हिस्सा से ज्यादा नहीं हो सकता था। इसलिए सम्पूर्ण भूखण्ड का पट्टा अकेले का नाम जारी होने के कारण काबिल निरस्त है। ग्राम पंचायत सबलपुर द्वारा स्वर्गीय पूरणमल के नाम उक्त पट्टा जारी करने की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी संख्या 3 व वादी ने लिखत में एतराज कर दिया था उसके उपरान्त पट्टा जारी किया था जो काबिल निरसत है। प्रतिवादी संख्या 3 व वादीनी ने विवादग्रस्त भूखण्ड के चारो और पक्की चार दीवारी बनाकर उसमें आवास के लिए एक कमरा बना रखा है जिसमें वादीनी निवास कर रही है। प्रतिवादी संख्या 1 के बिना कब्जे के उसके पिता के नाम बने अवैध पट्टे के आधर पर आगे है। प्रतिवादी संख्या 2 को हस्तानांतरित दिनांक 24.07.2006 को जरयि पंजीकृत बयनामा कर दी पर कब्जा कभी भी खरीददार को नहीं दिया गया। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम पट्टा संख्या 14 दिनांक 10.07.1984 जारी हुआ व अवैध व प्रभाव शून्य होने के कारण उसके आधार पर किया गया बेचान स्वतः ही प्रभाव शून्य हो जाता है और न ही खरीददार को कोई अधिकार हासिल हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा गलत व अवैध रूप से बनाया गया है जिसे प्रतिवादी संख्या 3 के वारिशान अवैध व प्रभाव शून्य घोषित

करवाने के अधिकारी है तथा अवैध पट्टे के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया गया पंजीकृत बेचान दिनांक 24.07.2006 स्वतः ही निरस्त हो जाता है। काउन्टर क्लेम का वाद कारण इस वाद की जानकारी प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान को रेकर्ड पर लेने पर हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय पूरणमल ने विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा बिना किसी प्रकार के अधिकार के अपने नाम जारी करवा लिया व उसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में हस्तानांतरित करवा लिया तब बमुकाम मामडोला पैदा हुआ। काउन्टर क्लेम बाबत् विवादित भूखण्ड का पट्टा अवैध होने के कारण घोषणा से संबंधित है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 के वारिशान ने निवेदन किया है कि डिकी बहक प्रतिवादी संख्या 3 के वारिशान विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बाबत् घोषणा इस आशय की फरमावे कि काउन्टर क्लेम के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूखण्ड का पट्टा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय पूरणमल पुत्र रामचन्द्र के नाम से पट्टा कमाक 14 दिनांक 10.07.1984 को ग्राम पंचायत सबलपुर द्वारा जारी किया गया वह पट्टा अवैध व प्रभाव शून्य है तथा उसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बेचान दिनांक 24.07.2006 स्वतः ही निरस्त है।

7. **प्रतिवादी संख्या 3** के कायम मुकाम की ओर से पेश **अन्तराभिवाची वाद का जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2** की ओर से इस आशय का पेश है कि न तो वादीनी का स्वामित्व का एवं न प्रतिवादी संख्या 3 के कायम मुकाम का स्वामित्व का प्लॉट है न इस प्लॉट का कब्जा है। वादीनी तुलछीदेवी व प्रतिवादीनी संख्या 3 ने आपस में दूरभि सन्धि करके यह वाद पेश किया है। वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता पूरणमल के नाम से तत्कालीन ग्राम पंचायत सबलपुर ने जारी किया था। ग्राम पंचायत सबलपुर ने पट्टा संख्या 14 दिनांक 10.02.1984 को दिया था जो नियमानुसार वैध हको के आधार पर जारी किया था इस इस पट्टा के संबंध में आज तक इस वाद के पहले कभी कोई आपत्ति पेश नहीं हुई तथा न ही पट्टा की कभी अपील ही हुई अगर इनका इस पट्टाशुद भूमि में कोई हक व अधिकार होते तो अवश्य ही चाराजोही करते अब बेचान करने के बाद यह एतराज पेश

किया जारहा है जो नाबालिग घोर व मनगढ़त कहानी बनाकर पेश किए जा रहे है। इस सम्पति का पट्टा बनाने वाले पूर्व सरपंच ष्मांगीलाल सिह स्वयं इसी ग्राम मामडोली के ही रहने वाले थे।

8. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये :—

1. आया विवादित सम्पति में वादिया मन्नालाल की विधवा होने के नाते उत्तराधिकारी होकर मालिक काबिज है ?

—वादीया

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया गया बेचाननामा वादीनी के अधिकारों के संबंध में अवैध है एवं वादीनी उसे मन्सुख कराने की अधिकारिणी है ?

—वादीया

3. आया वादीनी इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है कि उसे विवादित परिसर से बेदखल नहीं किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा विवादित सम्पति का बेचान व उस पर निर्माण न किया जावें ?

— वादीया

4 आया प्रतिवादी संख्या 3 इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है कि काउन्टर क्लेम के पैरा 1 में वर्णित भूखण्ड का पूरणमल के नाम का पट्टा अवैध व शून्य घोषित किया जायें ?

— प्रतिवादी संख्या 3

5. अनुतोष ?

9. वादी पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में गवाह पी.ड.1 कमला देवी, पी.ड. 2 राधाकिशन, पी.ड. 3 सुगनाराम, पी.ड. 4 महेश की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गए।

10. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अपने बचाव साक्ष्य में गवाह डी.ड. 1 मोतीराम, डी.ड. 2 पूरणराम, डी.ड. 3 किशनलाल को व प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा डी—3 डब्ल्यू—1 सीताराम को न्यायालय में परिक्षित कराया व

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दस्तावेज प्रदर्श डी 1ए लगायत प्रदर्श डी 7ए प्रदर्शित करवाये गये जिनको सहवन से गलत चिन्हित किए गए। जिन्हे साधारण 'नियम (सिविल) के तहत आगे प्रदर्श—ए। लगायत प्रदर्श—ए7 पढ़ा जायेगा व प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजात को प्रदर्श—ए/डी3—1, प्रदर्श—ए/डी3—2, प्रदर्श—ए/डी3—3, प्रदर्श—ए/डी3—4 व प्रदर्श—ए/डी3—5 के बजाए प्रदर्श—ग1, प्रदर्श—ग2, प्रदर्श—ग3 प्रदर्श—ग4 व प्रदर्श—ग5 पढ़ा जायेगा।

11. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस अन्तिम सुनकर दिनांक 04.12.2019 को वादीया द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत् मन्सूखी बेचाननामा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादी सं. 03 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण कमलादेवी व अन्य एवं नटवर व अन्य की ओर से ये अपीलें इस न्यायालय में पेश की जाने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

12. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 04.12.2019 को पारित किया गया निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है अथवा नहीं?

13. बहस अपील सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

14. बहस अपील उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व अपीलीय न्यायालय की पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा सुझाये गये विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में अपील का निस्तारण निम्न प्रकार से हैः—

15. अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि विचारण न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर जो अपीलार्थीगण की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है, उसके विपरीत जाते हुए निष्कर्ष निकाला है। वादिया तुलछीदेवी, मन्नालाल की पत्नी है। तुलछीदेवी के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत कमला व महेश के पक्ष में निष्पादित करवाई है। अपीलार्थीगण की ओर से तुलछीदेवी का मृत्यु प्रमाण—पत्र पेश किया गया है, जिसमें पति का नाम मन्नालाल अंकित है। मृत्यु की रसीद की प्रमाणित प्रति प्रतिवादी की ओर से पेश की गई है, जिसमें तुलछीदेवी के पति के नाम के रूप में मन्नालाल व

पिता के रूप में देवीराम अंकित है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के देवीराम को वादिनी का पति माना है। तुलछीदेवी के द्वारा पारिवारिक कार्ड के लिए आवेदन—पत्र में वादिनी के पिता के नाम को काटकर बाद में वाईफ ऑफ के रूप में देवाराम अंकित किया गया है। प्रतिवादी की ओर से प्रदर्श—04 में भी तुलछी देवी के पति का नाम मन्नालाल अंकित किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य पारिवारिक कार्ड के लिए आवेदन—पत्र फार्म—अ प्रदर्श—07 में भी तुलछीदेवी के पति का नाम देवाराम अंकित है। साथ ही न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक परबतसर के द्वारा तुलछीदेवी व अन्य ने प्रतिवादी के विरूद्ध वाद सं. 23/08 पेश किया था, जिसमें भी न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक परबतसर के द्वारा यह माना गया था कि तुलछीदेवी मन्नालाल की पत्नी है तथा मांगीलाल की पत्नी गोदावरी देवी है। उक्त निर्णय पर भी किसी प्रकार का कोई विचार विचारण न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया है। उक्त निर्णय में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक परबतसर के द्वारा तुलछीदेवी को मन्नालाल की बेवा घोषित किया गया है और उसके आधार पर उक्त दावे में विवादित बेचान को निरस्त कर राजस्व भूमि में तुलछीदेवी का 1/3 हिस्सा माना है। प्रतिवादी सं. 03 की ओर से काउन्टर क्लेम पेश किया गया है। पत्रावली में जो पट्टा पेश हुआ है, वह भी कब्जे के आधार पर लिया गया है, जबकि वादग्रस्तस्थल पर वादिनी और गोदावरी का कब्जा था। पूर्णमल का किसी प्रकार का कब्जा नहीं था। वादिनी और प्रतिवादी सं. 03 के वारिसान की ओर से दावे व काउन्टर क्लेम को साबित किया है लेकिन उसके पश्चात् भी विचारण न्यायालय के द्वारा वादिनी के दावे व प्रतिवादी सं. 03 के वारिसान की ओर से पेश काउन्टर क्लेम को अस्वीकार कर खारिज किया गया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2019 को पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे।

16. इसके विपरीत अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने दौराने बहस कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2019 को पारित निर्णय व डिक्री वैध, शुद्ध, औचित्यपूर्ण व विधि के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसमें हस्तक्षेप की

कोई गुंजाईश नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे व विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 04.12.2019 को पारित निर्णय व डिक्री को पुष्ट किया जावे।

17. बहस अपील उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व अपीलीय न्यायालय की पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया। विचारण न्यायालय के दिनांक 04.12.2019 को पारित निर्णय व डिक्री के संबंध में सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने दावा बाबत् मनसुख बेचाननामा दिनांक 24.01.06 व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसमें **गवाह पी.ड. 01 कमला** ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ—पत्र में कथन कथित किये कि वादिनी तुलछीदेवी बेवा मन्नालाल, जो कि उनके कुटुम्ब की होने के कारण वह उससे व उसकी ग्राम मामडोली में स्थित समस्त सम्पत्तियों से वाकिफ है। स्वर्गीय तुलछीदेवी अपने पति के बंट में आये आवासीय प्लॉट में अपने हैसियत अनुसार निर्माण करवाकर निवास करती थी, जिसके पूर्व में पानी की सार्वजनिक टंकी व रामूराम शर्मा का घर थाला, पश्चिम में शामलाती चौक, उत्तर में आम रास्ता व निकास तथा दक्षिण में बद्रीप्रसाद व रामूराम का मकान थे। तुलछीदेवी ने दिनांक 18.08.07 को एक वसीयत संयुक्त रूप से उसके व उसके पुत्र महेश के पक्ष में शपथ—पत्र के पैरा सं. 02 में वर्णित पडौसियान के बीच के रहवासी भूखण्ड व मकान तथा उसके खातेदारी अधिकारों की ग्राम मामडोली स्थित कृषि भूमियों बाबत् निष्पादित कर उसका पंजीयन भी उप पंजीयक कार्यालय मकराना में करवा दिया था। तुलछीदेवी का स्वर्गवास दिनांक 29.04.09 को हो चुका है इसलिए उक्त वसीयतकर्ता की ओर से दिनांक 18.08.07 को निष्पादित वसीयत अंतिम होने के कारण वादिया के स्वर्गवास पश्चात् विवादित सम्पत्ति में जो भी हित अधिकार निहित थे, वे उसके व उसके पुत्र में निहित हो चुके हैं। वर्तमान में विवादित सम्पत्ति में वह और उसका पुत्र निवास कर रहे हैं। तुलछीदेवी के ससुर रामचन्द्र ग्राम मामडोली में रहते थे, जिनके तीन पुत्र थे, जो कि फौत हो गये, जिनके कृषि भूमि व आवासीय भूखण्ड ग्राम मामडोली में आई हुए हैं। तुलछीदेवी के ससुर की सम्पत्ति

उनके तीनों पुत्रों में बराबर विभाजन होकर तीनों अपने हिस्से व बंट में काबिज हो गये तथा ग्राम मामडोली में आये भूखण्ड का भी उन्होंने मौके पर विभाजन कर रखा था, जिसमें 1/3 हिस्सा मांगीलाल के बंट में था, 1/3 हिस्सा मन्नालाल के बंट में तथा 1/3 हिस्सा पूरणमल के बंट में आया, जिसका उन्होंने बंटवारा अपनी सुविधानुसार कर लिया था। तुलछीदेवी बाल विधवा थी, इसलिए अपने पति की सम्पत्ति में अकेली ही उत्तराधिकारी हो गई थी तथा पूरणमल के उनका पुत्र किशनलाल, जो कि प्रतिवादी सं. 01 है, वह उत्तराधिकारी हो गया। प्रतिवादी सं. 01 के पिता शुरू से ही डेगाना रहने लग गया तथा मामडोली आता—जाता रहता था। प्रतिवादी सं. 01 के पिता ने अपने रहवासी प्लॉट का बेचान ग्रामवासियों को टंकी बनाने के लिए 24 वर्ष पूर्व कर दिया तथा अपने प्लॉट की कीमत5 प्राप्त कर ली, जिसकी कीमत ग्रामवासियां द्वारा एकत्रित करके ग्राम में टंकी बनवाई गई। शेष जमीन तुलछीदेवी व मांगीलाल के बंट में आई जमीन है। तुलछीदेवी के पति की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी और तुलछीदेवी के ससुर की सम्पूर्ण सम्पत्ति की देखरेख पूरणमल ही करता था, जिसने चतुराई व चालाकी से ग्राम पंचायत सबलपुर के सरपंच से मिलकर रहवासी प्लॉट का पट्टा अपने नाम बना लिया व कृषि भूमि भी अपने नाम करवा ली जबकि कृषि भूमि व रहवासी प्लॉट में पूरणमल का 1/3 हिस्सा ही था, जिसने धोखाधड़ी करके ग्राम पंचायत सरपंच को प्रलोभन देकर पट्टा अपने नाम बना लिया, जबकि बेचानशुदा रहवास प्लॉट, जिसमें स्व. तुलछीदेवी ने चारदीवारी निकालकर एक रहवासी कमरा बना रखा है, के उपर अपनी सुविधानुसार चद्दर चढ़ा रखे हैं तथा निवास कर रही है, का पट्टा भी प्रतिवादी सं. 01 के पिता ने बना लिया, जिसकी जानकारी स्व. तुलछीदेवी को मिलावटी बेचान करने पर हुई, जिस पर झूठा कब्जा बताकर प्रतिवादी सं. 01 द्वारा षड्यंत्र रचकर उस पट्टा की आड़ में प्रतिवादी सं. 02 के पक्ष में एक मिलावटी बेचान दिनांक 24.07.06 को तहरीर व तरमीम कर दिया, जबकि उक्त भूमि पर प्रतिवादी पूरणमल का कोई भी कब्जा नहीं था और उसके पुत्र उसके पुत्र का भी कोई कब्जा नहीं था, जबकि उक्त सम्पत्ति वादिया तुलछीदेवी की सम्पत्ति थी। प्रतिवादी सं. 01 व 02 को उक्त प्लॉट की भूमि

का न तो कब्जा सुपुर्द किया गया है बल्कि कब्जा तुलछीदेवी का ही था। उक्त प्लॉट पर पशचिम में एक दरवाजा बना रखा था और साथ ही साथ उक्त प्लॉट पर एक कमरा बना रखा था। दिनांक 28.07.06 को उक्त प्लॉट खाली करने के लिए प्रतिवादी सं. 02 ने धमकी दी, तब उसे उक्त बेचान की जानकारी हुई। विवादित सम्पत्ति में वसीयकर्ता का हित निहित होने के कारण प्रतिवादी सं. 01 व 02 के पक्ष में बेचाननामा दिनांक 24.07.06 को वादीगण निरस्त करवाने के अधिकारी हैं। दौराने साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य में **प्रदर्श—01 लगायत प्रदर्श—03** दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये। दौराने **जिरह** गवाह ने कथन किये कि तुलछीदेवी का मृत्यु प्रमाण—पत्र उसका पति लेकर आया था। विवादित प्लॉट की लम्बाई—चौड़ाई वह नहीं बता सकती। मांगीलाल उनके गांव के ही पंचायत के सरपंच थे। यह सही है कि पूरणमल के नाम से जो पट्टा था, वह मांगीलाल ने ही बनाया था। वह पचास साल से मामडोली में ही रहती है। उक्त विवादित प्लॉट में कमा बना हुआ है। यह कहना गलत है कि तुलछीदेवी मेड़ता रहती हो। यह सही है कि तुलछीदेवी का मामडोली गांव में न तो राशनकार्ड बना है और न ही वोटरलिस्ट में नाम है, अजखुद कहा कि राशनकार्ड बना हुआ है। यह सही है कि राशनकार्ड उसने पश नहीं किया है। उसे नहीं मालूम है कि तुलछीदेवी का नाम मेड़ता की वोटरलिस्ट में तुलछीदेवी पति देवाराम लिखा हुआ हो। उसे मालूम नहीं है कि तुलछीदेवी वाईफ ऑफ देवाराम के नाम से राशनकार्ड का फॉर्म भरा हो। उसे पता नहीं कि उक्त राशनकार्ड फॉर्म में अपने पौते का नाम लिखाया हो और तुलछीदेवी ने हॉस्पिटल में अपने पति का नाम देवीराम लिखाया हो। उसने मालूम नहीं है कि तुलछीदेवी ने अपनी फोटो पहचान—पत्र में तुलछीदेवी वाईफ ऑफ देवीराम के नाम से बनायाहो। उसे यह नहीं पता कि नगरपालिका मेड़ता सिटी में यूनिट रजिस्टर में अपनी फोटो राशनकार्ड का इन्द्राज तुलछीदेवी वाईफ ऑफ देवाराम से कराया हो। तुलछीदेवी उसकी कुटुम्ब में जेठानी लगती थी। तुलछीदेवी ने मन्नालाल के साथ शादी करने का कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है। उसे जानकारी नहीं है कि मेड़ता सिटी के निर्वाचन नामावली 2009 में क्रमांक 110 में तुलछी का नाम दर्ज हो, इसी नाम से उसने फोटो

पहचान–पत्र बनाया हो। यह कहना गलत है कि मन्नालाल कुंवारे ही फौत हो गये हो और मेड़ता से उन्होंने तुलछीदेवी को बुलाकर मन्नालाल की पत्नी बनाया हो। विवादित भूखण्ड में बाकी दो भाईयों का हिस्सा है। तुलछीदेवी का गांव डोटालाई था और इनके पिता का नाम देवाराम था। मामडोली में तुलछीदेवी की शादी मन्नालाल के साथ हुई थी। गोदावरी, मांगीलाल की पत्नी थी।

18. **गवाह पी.ड. 04 महेश** ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ–पत्र में गवाह पी.ड. 01 कमला के द्वारा किए गए कथनों को दोहराया है। दौराने **जिरह** गवाह ने कथन किए कि तुलछीदेवी का मृत्यु प्रमाण–पत्र मेड़ता सिटी से वह स्वयं लेकर आया था। यह सही है कि वे गये उससे पहले तुलछीदेवी का नगरपालिका का मेड़ता सिटी में पहले से ही मृत्यु का इन्द्राज हो रखा था। नगरपालिका मेडता सिटी में मृत्यु प्रमाण–पत्र लेने हेतु प्रार्थना–पत्र किसने दिया, उसे पता नहीं है। नगरपालिका मेड़ता सिटी में मृत्यु होने का पंजीयन कितनी तारीख को हो गया था, उसे पता नहीं है। तुलछीदेवी का ग्राम मामडोली में वोटरलिस्ट में नाम है या नहीं, उसे पता नहीं है। मन्नालाल व मांगीलाल उसके जन्म से पहले ही खत्म हो गये थे। तुलछीदेवी का शादी कार्ड उसने पेश नहीं किया। यह सही है कि तुलछीदेवी मेड़ता में खत्म हुई थी।

19. **गवाह पी.ड. 02 राधाकिशन व पी.ड. 03 सुगनाराम** ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ–पत्र में कथन किए कि वे तुलछीदेवी को जानते हैं, जिसकी उनके गांव में मन्नालाल के साथ शादी हुई थी, जो उनके ग्राम मामडोली में ही रहती थी, जिसके पति का स्वर्गवास हो चुका है तथा तुलछीदेवी का भी स्वर्गवास हो चुका है। रामचन्द्र के तीन लड़के मांगीलाल, मन्नालाल व पूरणमल हुए थे, जो कि फौत हो चुके हैं। वे तीनों को जानते हैं, जिनका घ ार थाला ग्राम मामडोली के ब्राहम्ण के बास में आये हुए थे, जिनमें से किशनलाल ने अपने रहवासी प्लॉट का बेचान कर दिया, जिसमें पानी की टंकी बनी हुई है तथा तुलछीदेवी के प्लॉट में कमरा बना हुआ है, जिसके उत्तर में आम रास्ता व निकास तथा दक्षिण में बद्रीप्रसाद व रामूराम का मकान, पूर्व में पानी की सार्वजनिक टंकी तथा रामूराम शर्मा का घर

थाला एवं पश्चिम में शामलाती चौक है जिस पर वर्तमान में महेश व कमलादेवी निवास कर रहे हैं। तुलछीदेवी फौत होने पर उसका प्लॉट व प्लॉट में बना कमरा महेश पुत्र रामूराम व कमलादेवी पत्नी रामूराम के पास है। दौराने **जिरह गवाह पी.ड. 02 राधाकिशन** ने कथन किए कि वह फौज में था। रामचन्द्र कब खत्म हुए, तारीख में याद नहीं है। यह सही है कि मन्नालाल अपने पिता रामचन्द्र से पहले खत्म हो गये थे। मन्नालाल करीब 10—15 साल का था, तब खत्म हुआ था। मन्नालाल की शादी कौनसे सन् में हुई, उसे पता नहीं ह। लापोलाई गांव डेगाना तहसील में पड़ता है। मन्नालाल की पत्नी का नाम तुलछीदेवी था। लापोलाई ग्रांव में तुलछीदेवी किसकी पुत्री थी, वह नहीं बता सकता। पानी की टंकी बनाये 20 साल हो गये हैं। पानी की टंकी की जमीन की लिखा—पढी उसके सामने नहीं हुई। पानी की टंकी बनी, तब सरपंच मांगीलाल ही थी। विवादित प्लॉट के दो—तीन प्लॉट छोड़कर उसका मकानक है। बीच में सादो व ब्राहमणों व दरोगा का व बावरियों के मकान आये हुए हैं। **अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 03** द्वारा की गई **जिरह** में गवाह ने कथन किए कि तुलछीदेवी, मन्नालाल की पत्नी थी। सीता के पक्ष में जो जायदाद आई हुई थी, वह अपनी भाभी तुलछीदेवी को सम्भलाया हुआ था। मांगीलाल की पुत्री का नाम सीतादेवी था। तुलछीदेवी अपने पीहर और ससुराल दोनों जगह रहती थी। वह पड़ौसी होने के कारण जानता था। दौराने **जिरह गवाह पी.ड. 03 सुगनाराम** ने कथन किए कि वह विवादित प्लॉट के सामने सड़क छोड़कर उत्तर दिशा में रहता है। विवादित प्लॉट के पश्चिम में ब्राहम्णों का चौक है। उसने मांगीलाल, पूरणमल, मन्नालाल को कभी नहीं देखा। तुलछीदेवी के साथ मन्नालाल की शादी होने के बारे में उसे किसी ने नहीं बताया था। उसने गांव में सुना था। **अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 03 द्वारा की गई जिरह में गवाह पी.ड. 03 ने कथन किए कि** विवादित प्लॉट में बने एक मकान में तुलछीदेवी नाम की औरत रहती थी। विवादित प्लॉट के पास का पड़ौसी होने के कारण उसका प्लॉट पर आना—जाना रहता है।

20. प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में **गवाह डी.ड. 01 मोतीराम** को परीक्षित करवाया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ—पत्र में कथन किए

कि तुलछीदेवी को कभी भी किसी ने मामडोली में रहते हुए नहीं देखा था। विवादग्रस्त प्लॉट पूरणमल का पट्टाशुदा व कब्जाशुदा मालिकाना हक का था। उक्त प्लॉट को उसने रजिस्टर्ड बेचान स्व. पूरणमल के वारिस पुत्र किशनलाल से दिनांक 24.07.06 को रूपये 13000/— में खरीदा था। उक्त प्लॉट का पट्टा ग्राम पंचायत सबलपुर द्वारा सन् 1984 में पूरणमल के नाम से जारी कर दिया था और उस समय सरपंच इसी गांव के मांगीलाल सिंह थे। तुलछीदेवी का न तो इस सम्पत्ति पर कोई अधिकार है और न ही यह तुलछीदेवी, मन्नालाल की औरत थी। तुलछीदेवी का वोटरलिस्ट में भी नाम नहीं था और न ही कोई राशनकार्ड था। तुलछीदेवी मेड़तासिटी के देवीराम की पत्नी है, जो फर्जी तौर पर मन्नालाल की औरत बनकर उक्त प्लॉट के पड़ौसी रामूराम ब्राहम्ण के प्लॉट को हडपने के लिए जरिया बनाया है जबकि इस परिवार का तुलछीदेवी से कोई लेना—देना नहीं रहा है। उक्त प्लॉट पर एक मात्र कब्जा किशनलाल पुत्र पूरणमल का था और खरीदने के बाद सन् 2006 के बाद लगातार उसका कब्जा चला आ रहा है। दौराने **जिरह** गवाह ने कथन किए कि पूरणमल के और भाई—बहिन हो उसे उसे जानकारी नहीं है। वह पूरणमल को जानता है। पूरणमल के एक ही लड़का है जो पहले मामडोली रहता था, फिर डेगाना रहता था और अब पूना रहने लग गया है। उसको मामडोली में आये हुए 14 वर्ष हो गये हैं। मामडोली उसका ससुराल है। वह तुलछीदेवी को नहीं जानता है, जो कि मेड़ता में रहती है। मांगीलाल व मन्नालाल, पूरणमल के क्या लगते हैं, उसे जानकारी नहीं है। विवादित प्लॉट के पूर्व में पानी की टंकी बनी हुई है। किशनलाल की मामडोली गांव में कृषि भूमि आई हुई थी, जिसका बेचान सुगनाराम, नारायणराम, परमाराम को कर दिया था जिसका मुकदमा एडीजे कोर्ट परबतसर में चला था, जिसकी डिक्री तुलछीदेवी के पक्ष में की गई हो तो उसे पता नहीं। उसने उसमें गवाही नहीं दी थी। उसके ससुर नोलाराम ने उसमें गवाही दी है तो उसने उसको बताया नहीं। किशनलाल के पिता ने ग्राम मामडोली में विवादित प्लॉट के पश्चि में आया हुआ अपना हिस्सा बेचान कर दिया हो तो उसकी उसे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि विवादित प्लॉट में तुलछीदेवी रहती थी, उसके फौत होने पर कमला

पत्नी रामूराम, महेश पुत्र रामूराम रहता था। यह कहना गलत है कि उसने किशनलाल से मिलकर झूठा बेचाननामा दिनांक 24.07.06 को तैयार करवाया हो। यह सही है कि विवादित बेचाननामें में गवाह उसके ससुर नोलाराम व उसके रिश्तेदार नारायणराम पुत्र सूजाराम है। यह कहना गलत है कि विवादित प्लॉट खरीदने के बाद तुलछीदेवी को इस प्लॉट से निकालने की कोशिश की हो। यह कहना गलत है कि मन्नालाल व मांगीलाल के फौत होने पर विवादित प्लॉट पर इनके वारिस व उनकी पत्नी तुलछीदेवी का हिस्सा रहो हो और उसने किशनलाल से मिलरक यह झूठा बेचाननामा तैयार करवाया हो। **अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 03** की गई **जिरह** में गवाह ने कथन किए कि वह मामडोली में पिछले 13–14 सालों से उसके ससुर नोलाराम के मकान में रह रहा है। ससुराल में रहने के दो–तीन साल बाद में ही विवादित प्लॉट खरीदा था। पूरणमल पहले मामडोली में रहे, फिर डेगाना रहने लग गये। उनके स्वर्गवास हुए 10–11 साल हो गये हैं। यह सही है कि पूरणमल के स्वर्गवास के पश्चात् उसके पुत्र किशनलाल ने उसके नाम दर्ज हुई खातेदारी जमीनों को उनके ही मामडोली के समाज के लोगों को बेचान कर दिया है। तुलछीदेवी व सीतादेवी द्वारा उनके हक–हिस्से की खातेदारी की जमीन पूरणमल के द्वारा अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के पश्चात् उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनके पुत्र किशनलाल ने जरिये रजिस्ट्री बेचान कर दी थी, जिसके लिये बेचान मंसुखी का वाद एडीजे कोर्ट परबतसर में पेश किया था, जिसमें इनके पक्ष में डिक्री पारित होकर उनके हक–हिस्से तक का बेचान अवैध निरस्त कर दिया हो तो उसे जानकारी नहीं है। उसे यह जानकारी नहीं है कि पूरणमल का हिस्सा विदित प्लॉट के पूर्व में था जिसको पूरणमल ने सार्वजनिक हित में गांव वालों को बेचान किया था जिसमें सरकार की ओर से पानी की टंकी गांव वालों की सहमति से बनाई गई थी। विवादित प्लॉट में तुलछीदेवी व कमला का बराबर–बराबर हिस्सा हो तो उसे जानकारी नहीं है।

21. **गवाह डी.ड. 02 पूर्णाराम पुत्र मानाराम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए कि वह जन्म से ही ग्राम मामडोली में रहता है। वह प्रतिवादी किशनलाल व मोतीराम को जानता है। तुलछीदेवी कौन है, वह नहीं जानता क्योंकि तुलछी

कभी मामडोली में उसकी समझ से ब्राहम्णों के मोहल्ले मं उसने कभी रहते हुए नहीं देखा और न ही उसने सुना था। वादग्रस्त प्लॉट में उसने समझ ली तब पूरणमल व उनके परिवार को रहते देखा था और फिर किशनलाल रहता था। स्थानीय पंचायत सबलपुर के सरपंच रहे स्व. मांगीलाल ने इस वादग्रस्त प्लॉट का पट्टा बनाया, मौका देखा तब वह भी उपस्थित था और कई गांव के लोग उपस्थित थे। खुले आम मौका देखकर पट्टा बनाया था और उक्त प्लॉट पर पूरणमल का परिवार ही रहा था। इससे पहले उसने इनके अलावा किसी अन्य को रहते हुए नहीं देखा। किशनलाल ने उक्त प्लॉट को मोतीराम को रूपये लेकर बेचान किया है इसलिए पहले कब्जा किशनलाल का था और अब मोतीराम का कब्जा है। रामूराम किसी अनजान महिला को बाहर से लाये थे और कहा कि यह तुलछीदेवी है और उक्त प्लॉट में हकदार है जबकि किसी तुलछीदेवी नाम की औरत को गांव में इस विवाद से पहले कभी नहीं देखा और नही सुना था। इस प्लॉट में केवल पूरणमल का परिवार ही हकदार है दूसरों का कोई हक उज्र नहीं है। पूरणमल ही उक्त प्लॉट पर प्रथम बार आकर रहने लगे तो पंचायत ने इनके नाम का पट्टा दे दिया था, जिसमें पहले इनके बडेरे कहीं दूसरे गांव में रहते होंगे, उसे नहीं पता है। दौराने **जिरह** गवाह ने कथन किए कि वह मांगीलाल व मन्नालाल को नहीं जानता, उनका नाम भी नहीं सुना था। पूरणमल का परिवार डेगाना में रहता है, उसके मरे हुए कितने साल हो गये, उसे जानकारी नहीं है। पूरणमल के एक किशनलाल लड़का है, जिसको वह जानता है, जो बाहर रहता है लेकिन क्या काम करता है उसे पता नहीं। पूरणमल को डेगाना रहते हुए कितने साल हो गये, उसे जानकारी नहीं है। नोलाराम के दो लड़किया हैं। बड़ी लडकी का नाम केसु और छोटी लडकी का नाम सुन्दरी है। उनके गांव के मांगीलाल की मृत्यु हो गई है। विवादित प्लॉट को वह जानता है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है, उसे जानकारी नहीं है। इनकी चार भुजायें कितनी है, इसकी पैमाईश की उसे जानकारी नहीं है। विवादित प्लॉट के पूर्व में पानी की टंकी बनी हुई है। वह प्लॉट पूरणमल का था, जिसको उन्होंने गांव वालों को दिया या नहीं उसे जानकारी नहीं है। उसकी उपस्थिति में कोई पट्टा नहीं बनाया

था। मन्नालाल की पत्नी तुलछीदेवी को उसने नहीं देखा। उसने मन्नालाल को ही नहीं देखा है। विवादित प्लॉट ब्राहम्णों के मोहल्ले में आया हुआ है। **अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 03** द्वारा की गई **जिरह** में गवाह ने कथन किए कि उसने किशनलाल को एक ही बार देखा था। उस दिन विवादित प्लॉट की रजिस्ट्री हुई थी। उस दिन ही पानी की टंकी बनी थी। वह जमीन सरकारी थी या पूरणमल की थी, उसे जानकारी नहीं है। विवादित प्लॉट में एक कच्चा या पक्का मकान है तो सही लेकिन उसने अंदर जाकर नहीं देखा। उसे ध्यान नहीं है कि विवादित भूखण्ड में मन्नालाल की पत्नी तुलछीदेवी व मांगीलाल की पुत्री सीतादेवी रहती थी क्योंकि वह कभी भी वहां पर नहीं गया। तुलछीदेवी व सीताराम पूरणमल द्वारा उनके हक—हिस्से की जमीन को बेचान रजिस्ट्री किये जाने पर उनकी ओर से एडीजे कोर्ट परबतसर में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसे जानकारी नहीं है और उसमें क्या हुआ, उसे पता नहीं है।

22. **गवाह डी.ड. 03 किशनलाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ—पत्र में कथन किए कि उसके दादा रामचन्द्र के तीन पुत्र हुए थे, जिनमें से दो छोटी उम्र में ही उसके दादाजी की मृत्यु से पूर्व ही फौत हो गये थे और फिर उसके दादाजी के स्वर्गवास के समय उसके पिताजी ही एक मात्र समस्त सम्पत्ति के उत्तराधिकारी बचे थे। शपथकर्ता के पड़ौसी रामूराम ने उक्त सम्पत्ति को हड़पने का एक षड्यंत्र बनाकर झूठा दावा तुलछीदेवी नायक औरत से करवा दिया जबकि यह औरत कभी भी मामडोली में नहीं रही और न ही मन्नालाल के साथ शादी ही की थी। मन्नालाल का तो छोटी उम्र में ही स्वर्गवास हो गया था इसलिए उसकी औरत होने का प्रश्न ही नहीं है। तुलछीदेवी मेड़ता सिटी की रहने वाली थी जो देवीराम के साथ शादीशुदा था। समस्त रिकॉर्ड मेड़ता नगर पालिका में तुलछीदेवी पत्नी देवीराम के नाम से बना हुआ है। उसको फिर फर्जी बनाकर रामूराम ने बनवाया है, जो गलत है। ग्राम मामडोली में रहवासी प्लॉट था, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत सबलपुर ने सन् 1984 में उसके पिता के नाम से बनाया था जो सही है। तत्कालीन सरपंच ग्राम मामडोली का मांगीलाल सिंह ही थे, वे सभी को अच्छी तरफ से जानते व पहचानते थे। उसने उक्त प्लॉट को प्रतिवादी

मोतीराम को प्रतिफल लेकर विधिवत् बेचान करके कब्जा दिया है जो सही है, जिस पर कब्जा आज भी खरीददार मोतीराम का ही है। उसका पड़ौसी तुलछीदेवी नायक झूठी औरत को सही करके उसके जरिये यह सम्पत्ति हड़पना चाहता है। जबकि न तो उक्त सम्पत्ति पर किसी तुलछीदेवी का अधिकार था और न ही इस पर उसके जो वसीयतदार कमला व महेश बने हैं, उनको अधिकार ही है। दौराने **जिरह** गवाह ने कथन किए कि उसके पिता तीन भाई थे। उसके पिता के भाईयों के नाम पता नहीं है लेकिन उसके दादा का वह नाम बता सकता है। उसके दादा रामचन्द्र के तीन लड़के मन्नालाल, पूरणमल और मांगीलाल हैं। मांगीलाल की पुत्री सीतादेवी को वह नहीं जानता। उसके पिता के भाई शादीशुदा थे या नहीं , उसे पता नहीं। उसके दादाजी के उसके पिताजी एक ही थे और उनके वह एक ही है। मन्नालाल की पत्नी तुलछीदेवी का अभी कुछ समय पहले स्वर्गवास हुआ हो तो उसे पता नहीं। मामडोली में जो पानी की टंकी सार्वजनिक बनी हुई है, वह प्लॉट उनका था, जो प्लॉट उसके पिताजी ने ही दिया था। बेचा था या ऐसे ही दिया, उसे पता नहीं है। रेवन्यू की जमीन का फैसला उसके पक्ष में हुआ था, जो कि फैसला एडीजे न्यायालय में हुआ था। जमीन उसके नाम जी चढ़ गई थी। वह खेत उसने सुगनाराम को बेचा था। उन्हें डेगाना जाकर बसे 35 वर्ष हो गये हैं। उसके पिताजी गांव आते—जाते रहते थे। उसने जो प्लॉट बेचा, उससे पहले उसके पिताजी उसमें रहते थे। मौका कमिश्नर कब गया, उसे पता नहीं। उस समय तुलछीदेवी वहां हो तो उसे पता नहीं। पट्टा किस सन का बना हुआ है, उसे पता नहीं। लगभग 27—28 वर्ष हो गये हैं। उस समय सरपंच मांगीलाल थे। प्रदर्श—03 में जो मुकाम मामडोली लिखा हुआ है, वह कांट—छांट कर बाद में लिखा है। उसमें पत्नी मन्नालाल लिखा हुआ है, जो भी बाद में लिखा है। वह रामकिशन मामडोली को नहीं जानता। उनके परिवार को जानता है। वह वर्तमान में पूना रहता है। प्लॉट उसने कितने में बेचा, उसे याद नहीं है। एडीजे कोर्ट परबतसर में उसके कोई बयान नहीं हुए। एडीजे कोर्ट फास्टट्रेक मकराना में उसके बयान हुए थे। यह कहना गलत है कि बेचा हुआ प्लॉट तुलछीदेवी का हो। तुलछीदेवी ने मरने से पहले वसीयत किसी

को की हो तो उसे जानकारी नहीं है। **अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 03** ने दौराने **जिरह** कथन किया कि यह कहना गलत है कि उक्त प्लॉट में सीतादेवी, महेश, कमला नहीं रहते हो।

23. पत्रावली पर आई उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा अवधारित किये गये विचारणीय बिन्दुओं का विवेचन निम्नानुसार है :–

विवाद्यक सं. 01

24. विवाद्यक सं. 01 को साबित करने का भार वादिया पर था, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक सं. 01 इस आशय का विरचित किया गया कि ''आया विवादित सम्पत्ति में वादिया मन्नालाल की विधवा होने के नाते उत्तराधिकारी होकर मालिक काबिज है'' इस संबंध में सर्वप्रथम वादिया द्वारा प्रस्तुत दावे का अवलोकन किया जावे तो वादिया ने अपने सम्पूर्ण दावे में उत्तराधिकारी की घोषणा होने बाबत् कोई अभिवचन नहीं किये हैं और न ही उत्तराधिकारी होने बाबत् कोई अनुतोष चाहा है। द्वितीय यह है कि उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र सिर्फ चल सम्पत्ति (ब्याज/लाभांश) के बाबत् ही जिला न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि विचारण न्यायालय द्वारा वादिया को स्व. मन्नालाल की विधवा होने के कारण उत्तराधिकारी होने के आधार पर विवाद्यक सं. 01 बनाया गया है, जबकि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का उत्तराधिकारी है अथवा नहीं, यह तय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को नहीं है, ऐसे में जो विचारण न्यायालय द्वारा अभिवचन के आधार पर विवाद्यक सं. 01 ''आया विवादित सम्पत्ति में वादिया मन्नालाल की विधवा होने के नाते उत्तराधिकारी होकर मालिक काबिज है'' विरचित किया गया है, वह सही नहीं किया गया है।

25. अचल सम्पत्ति के संबंध में सिविल न्यायालय के द्वारा उत्तराधिकारी माना जा सकता है या नहीं, इस संबंध में न्यायालय द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

धारा 374 प्रमाणपत्र की विषयवस्तु :– जब जिला न्यायाधीश कोई प्रमाणपत्र अनुदत्त करता है तब वह उन ऋणों और प्रतिभूतियों को विनिर्दिष्ट करेगा

जो प्रमाणपत्र के लिए आवेदन में उपवर्णित हैं और उसके द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, प्रतिभूतियों या उनमें से किसी–

(1) पर ब्याज या लाभांश प्राप्त करने या,

(2) का परक्रामण या अन्तरण करने, या

(3) पर ब्याज या लाभांश प्राप्त करने और उनका परक्रामण, या अन्तरण करने या उनमें से कोई कार्य करने के लिए, सशक्त कर सकेगा।

26. उक्त विधि की रोशनी में विचारण न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया जावे विचारण न्यायालय द्वारा वादिया द्वारा प्रस्तुत दावे व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे व काउन्टर क्लेम में वर्णित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक सं. 01 विरचित करते हुए अपने निर्णय व डिक्री में वादिया को मन्नालाल की विधवा मानते हुए उत्तराधिकारी माना है, जबकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 374 के अनुसार केवल मात्र जिला न्यायाधीश ही उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है।

27. साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 370 व 371 का अध्ययन किया जावे तो

370. इस भाग के अधीन प्रमाणपत्र के अनुदान पर निर्बन्धन –(1) इस भाग के अधीन उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् प्रमाणपत्र कहा गया है) ऐसे किसी ऋण या प्रतिभूति की बाबत् अनुदत्त नहीं किया जाएगा जिसके लिए कोई अधिकार प्रशासन–पत्र या प्रोबेट द्वारा स्थापित किए जाने की धारा 212 या धारा 213 द्वारा अपेक्षा की गई है :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी ऋण किया प्रतिभूति की बाबत् मृत भारतीय क्रिश्चियन की चीजबस्त, या उसके किसी भाग के लिए हकदार होने का दावा करता है, इस कारण प्रमाणपत्र के अनुदान को रोकने वाली नहीं मानी जाएगी कि उसके लिए अधिकार इस भाग के अधीन प्रशासन–पत्र द्वारा स्थापित किया जा सकता है।

(2) इस भाग के प्रयोजनों के लिए ''प्रतिभूति'' से अभिप्रेत है :–

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई वचन पत्र, डिबेन्चर, स्टाक या अन्य प्रतिभूति,

(ख) भारत के राजस्व पर युनाईटेड किंगडम की संसद के अधिनियम द्वारा भारित कोई बंधपत्र, डिबेन्चर या वार्षिकी,

(ग) किसी कंपनी या अन्य निगमित संस्था का कोई स्टाक या डिबेन्चर या उसमें शेयर,

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसके निमित्त जारी किया गया कोई डिबेन्चर या धन के लिए कोई अन्य प्रतिभूति,

(ड) कोई अन्य प्रतिभूति जिसे (राज्य सरकार) राजपत्र में, असूचना द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूति के रूप में घोषित करें।

371. प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय – वह जिला न्यायाधीश, जिसकी अधिकारिता के भीतर मृतक अपनी मृत्यु के समय मामूली तौर पर निवास करता था या यदि उस समय उसका कोई नियत निवास स्थान नहीं था तो वह जिला न्यायाधीश जिसकी अधिकारिता के भीतर मृतक की सम्पत्ति का कोई भाग पाया जाता है इस भाग के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा।

28. इस प्रकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार सर्वप्रथम को सिविल न्यायालय को उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार ही नहीं है। चूंकि अचल सम्पत्ति के संबंध में वादिनी के वाद व प्रतिवादी सं. 03 के काउन्टर क्लेम में कोई उत्तराधिकार की घोषणा का अनुतोष नहीं था, ऐसे में जो विचारण न्यायालय के द्वारा विवाद्यक सं. 01 बनाया गया है, वह अनावश्यक है। इस प्रकार उभय पक्षों की ओर से जो अभिवचन न्यायालय के समक्ष पेश किये गये हैं, उसमें स्वयं वादिनी अपने आपको को मन्नालाल की पत्नी होना वर्णित करती है और साथ ही वादिनी उक्त तथ्य भी वर्णित करती है कि सीतादेवी, मांगीलाल की पुत्री थी और प्रतिवादी सं. 01 के कायम मुकामान स्वयं भी वादग्रस्त सम्पत्ति पर अपना हिस्सा होना वर्णित करते हैं, जबकि इस संबंध में प्रतिवादी सं. 01 ने इस तथ्य से इंकारी की है की मांगीलाल और मन्नालाल के कोई वारिसान नहीं था, अतः ऐसी स्थिति में उभय पक्षों की ओर से जो अभिवचन विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किये गये हैं, उसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक सं. 01 "आया विवादित सम्पत्ति में वादिया मन्नालाल की विधवा होने के नाते उत्तराधिकारी होकर मालिक काबिज है" विरचित किया गया है। इस संबंध में सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया

जावे तो विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं वादिनी ने अपने दावे और प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम में कोई तथ्य वर्णित नहीं है। यह विधि है कि जब पक्षकारान के द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई अनुतोष चाहा जाता है तो उस संबंध में पक्षकारान द्वारा दावा या प्रतिदावा पेश कर नियमानुसार कोर्टफीस अदा की जाती है लेकिन विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादिनी ने अपने दावे व प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिदावे में विचारण न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का कोई अनुतोष चाहा हो, यह दर्शित नहीं होता है, ऐसे में जो विवाद्यक सं. 01 विरचित किया गया है, वह सही नहीं किया गया है और उक्त विवाद्यक सं. 01 गलत तौर पर विरचित हुआ है, जिसे आदेश 14 सी.पी.सी. के तहत Strike Out किया जाना न्यायोचित है।

29. वादिनी ने अपने वाद—पत्र में उक्त तथ्य का वर्णन किया है कि रामचन्द्र के तीन पुत्र मांगीलाल, मन्नालाल व पूर्णमल थे। प्रतिवादी सं. 01 किशनलाल, पूर्णमल का पुत्र है। स्वयं वादिनी तुलछीदेवी, मन्नालाल की पत्नी है। मन्नालाल की मृत्यु अल्पकाल में हो गई थी। तुलछीदेवी बाल विधवा है और प्रतिवादी सं. 03 सीतादेवी, मांगीलाल की पुत्री है। वादग्रस्त प्लॉट पर तुलछीदेवी का 1/3 हिस्सा और मांगीलाल का भी 1/3 हिस्सा था और 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 01 किशनलाल का था। वादिनी ने अपने वाद—पत्र में उक्त तथ्य भी वर्णित किये हैं कि रामचन्द्र के पुत्र पूर्णमल ने वादग्रस्त सम्पत्ति में जो 1/3 हिस्सा था, वह गांव वालों को पानी की टंकी बनाने के लिए दिया था। जबकि इस संबंध में किशनलाल प्रतिवादी सं. 01 ने अपने जवाबदावे में उक्त तथ्य वर्णित किये हैं कि यह सही है कि रामचन्द्र के तीन पुत्र मांगीलाल, मन्नालाल व पूर्णमल थे। प्रतिवादी सं. 01 किशनलाल, पूर्णमल का पुत्र है। मांगीलाल और मन्नालाल की मृत्यु अल्पकाल में ही हो गई थी। उनका कोई वारिस नहीं था। मांगीलाल, मन्नालाल की शादी होने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उक्त वादग्रस्त प्लॉट का पट्टा उसके पिता पूर्णमल के नाम से था। उक्त प्लॉट का मालिक केवल प्रतिवादी सं. 01 के पिता पूर्णमल ही थे, जिन्होंने अपने नाम से पट्टा बनाया था। इस संबंध में प्रतिवादी सं. 03 के कायम मुकामान

की ओर से यह जवाब दिया गया कि वादग्रस्त प्लॉट का पट्टा प्रतिवादी सं. 03 सीतादेवी के कायम मुकामान और वादिनी के नाम से है। प्रतिवादी सं. 01 के पिता ने मिलीभगती करके अकेले अपने नाम से पट्टा जारी करवाया था। वादग्रस्त प्लॉट पर वादिनी और प्रतिवादी सं. 03 के वारिसान का शामलाती बराबर–बराबर आधा हिस्सा है।

30. उक्त विवाद्यक सं. 01 के Strike Out किये जाने के पश्चात् न्यायालय मत में उक्त विवाद्यक सं. 01 "आया विवादित सम्पत्ति में वादिया मन्नालाल की विधवा होने के नाते उत्तराधिकारी होकर मालिक काबिज है" के स्थान पर निम्न विवाद्यक कायम किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता हैः–

"आया वादिनी वाद–पत्र में वर्णित तथ्यानुसार मन्नालाल की विधवा पत्नी है तथा प्रतिवादी सं. 03 सीतादेवी काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यानुसार मांगीलाल की पुत्री है"?

——जिम्मे वादिनी व प्रतिवादी सं. 03

31. जहां तक कि अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने दौराने बहस कथन कथित किया कि विचारण न्यायालय ने अपर जिला न्यायाधीश परबतसर के निर्णय को मानने या न मानने के बारे में भी कोई तथ्य वर्णित नहीं किये है, इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया जावे तो यह सही है कि इस बाबत् कोई भी तथ्य विचारण न्यायायलय के द्वारा अपने निर्णय व डिक्री में वर्णित नहीं किये हैं, जबकि विधिनुसार वादी व प्रतिवादीगण की ओर से पेश सभी दस्तावेजात को मानने या न मानने के बाबत् विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्ष पारित किया जाना आवश्यक है।

32. क्या न्यायालय के द्वारा विचारण न्यायालय के द्वारा जब कोई निर्णय पारित किया जाता है, उसे अपीलीय न्यायालय के द्वारा प्रतिप्रेषण किया जा सकता है या नहीं, इस संबंध में न्यायालय के द्वारा संबंधित विधि **आदेश 41 नियम 23** का अध्ययन किया गया।

आदेश 41 नियम 23 मामले का अपील न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण :–

जहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है, वाद का

निपटारा किसी प्रारंभिक बात पर कर दिया है और डिक्री अपील में उलट दी गई है, वहां यदि अपील न्यायालय ऐसा करना ठीक समझे तो वह मामले का आदेश द्वारा प्रतिप्रेषण कर सकेगा और यह अतिरिक्त निदेश दे सेगा कि ऐसे प्रतिप्रेषित मामले में कौन से विवाद्यक या विवाद्यकों का विचारण किया जाए और अपने निर्णय और आदेश की प्रति उस न्यायालय को जिसको डिक्री की अपील की गई है, इन निदेशों के साथ भेजेगा कि वह वाद, सिविल वादों के रजिस्टर में अपने मूल संख्याक पर पुनः ग्रहण किया जाए और वाद के अवधारण के लिए आगे कार्यवाही की जाये और यदि कोई साक्ष्य मूल विचारण के दौराने में अभिलिखित कर लिया गया था तो वह सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, प्रतिप्रेषण के पश्चात् वाले विचारण के दौरान में साक्ष्य होगा।

—:: आदेश ::—

33. परिणामतः अपीलार्थीगण कमलादेवी वगैरह की ओर से प्रत्यर्थीगण किशनलाल वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सं. 13/2020 तथा अपीलार्थीगण नटवर वगैरह की ओर से प्रत्यर्थीगण किशनलाल वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सं. 14/2020 अंतर्गत धारा 96 सपठित आदेश 41 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत स्वीकार कर विचारण न्यायालय के मूल वाद संख्या 50/2006, 154/14 तुलछीदेवी बनाम किशनलाल व अन्य में दिनांक 04.12.2019 को पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है। मामले को आदेश 41 नियम 23 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत योग्य विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है।

34. साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा विरचित विवाद्यक सं. 01 को उपरोक्तानुसार Strike Out किये जाने का आदेश दिया जाता है। विचारण न्यायालय को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे वाद को पुनः अपने मूल संख्याक पर ग्रहण कर वाद अवधारण के लिए आगे कार्यवाही करे। पक्षकारान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.09.2026 को उपस्थित रहेंगे।

35. साथ ही योग्य विचारण न्यायालय दिनांक 22.09.2026 के पश्चात् उक्त आदेश से प्रभावित हुए बिना इस न्यायालय द्वारा बनाये गये नये विवाद्यक

पर उभय पक्षकारान की साक्ष्य विधिनुसार लेखबद्ध करवाकर सभी विवाद्यकों के संबंध में विधिनुसार मामले का निस्तारण करेगा।

(आशा चौधरी)
अपर जिला न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)

36. आदेश/निर्णय आज दिनांक 25.08.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(आशा चौधरी)
अपर जिला न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)